न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98 / 2021 दायर दिनांकः 23.12.2021

उनवान

1–धीरजसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

2– भंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

–वादीगण

बनाम

1– रणजीतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकला तहसील पिडावा

2– चन्दरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

3–प्यारसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

4– सज्जनसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

5– बहादुरसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिडावा

6– अधिशाषी अभियंता गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड राज. पिडावा

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

– प्रतिवादीगण

<u>दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादीगण :– श्री नीलकमल त्रिवेदी
प्रतिवादी सं. 1 से 5 :– एकतरफा
प्रतिवादी सं. 6 – अधिशाषी अभियंता
प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक : 27.02.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वा[illegible] खेडा निपानिया पटवार हल्का गेलानी तहसील पिडावा जिला झालावाड़ [illegible] ने वर्तमान खाता संख्या–66 की कुल किता 6 कुल रकबा 2.7948 हैक्टेयर आराजी है। वादीगण के सह खातेदारी में है। यह कि वाके ग्राम खेडा निपानिया पटवार

अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हल्का गेलानी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. मे वर्तमान खाता संख्या 107 की कुल किता 7 कुल रकबा 1.3152 हैक्टेयर आराजी है। जो प्रतिवादीगण संख्या–1 के खाते मे दर्ज है। यह कि वाके ग्राम खेड़ा निपानिया पटवार हल्का गेलानी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. मे वर्तमान खाता संख्या–41 की कुल किता 7 कुल रकबा 3.2754 हैक्टेयर आराजी है। जो प्रतिवादीगण –2, 3, 4 के नाम दर्ज है। यह कि वाके ग्राम खेड़ा निपानिया पटवार हल्का गेलानी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राज. मे वर्तमान खाता संख्या 82 की कुल किता 7 कुल रकबा 1.3152 हैक्टेयर आराजी है जो प्रतिवादीगण संख्या–5 के खाते मे दर्ज है। यह कि वाके पैरा नम्बर–2, 3, 4 में दर्ज आराजी मेसे खसरा नम्बर–274 मुल खसरा नम्बर था जिसका बंटवारा हुआ तो खसरा नम्बर–274 का रकबा 0.1897 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या–1 के हिस्से मे आया खसरा नम्बर–334/274 रकबा 0.4932 हैक्टेयर हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–2, 3, 4 के हिस्से में आया एवं खसरा नम्बर–327/274 रकबा 0.2023 हैक्टेयर हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–5 के हिस्से में आया एवं खसर नम्बर–342/274 रकबा 0.4806 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से मे आया था जिसे वादीगण ने विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति महाजन निवासी खारपाकला को बेचान कर दिया है। यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में तो बंटवारा होगया और आराजी अपने अपने खाते मे दर्ज हो गई लेकिन मौके पर कब्जे का लेन देन नहीं हुआ तो वर्तमान मे वादीगण खसरा नम्बर–334/274, 327/274, एवं 274 पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। इन खसरा नम्बारान मे से गागरीन सिंचाई परियोजना की नहर निकल रही है। तो नहर में आवाप्त हो रही भूमि की मुआवजा राशि के नोटिस खातेदार प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 5 को प्राप्त हुए है जबकि मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा की वादीगण के खातेदारी की आराजी जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। उसका कब्जा उसे [illegible] प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया और मुआवजा राशि [illegible] वादीगण को [illegible] के लिये तैयार नही है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई [illegible] किया जना न्यायहित मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक हो गया है कि वे खसरा नम्बर–334/274, 327/274 व 274 की भूमि की आवाप्ति की मुआवजा राशि प्राप्त नही करे। यह कि प्रतिवादीगण का खाता संख्या–65 की कुल किता 6 कुल रकबा–27948 के 4/8 हिस्से पर कब्जा काश्त है जिसे वादीगण प्रतिवादीगण से प्रतिवादीगण संख्या–7 के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योकि वादीगण प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजी जिसपर वादीगण का कब्जा काश्त है। छोडने के लिये तैयार है इसलिए प्रतिवादीगण से वादीगण को उसके 4/8 हिस्से का कब्जा मौके पर से प्रतिवादीगण से दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वाद कारण दिनांक–10.12.2021 को उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण की खातेदारी की आराजी का कब्जा सौपने के लिये कहा और उन्होने मना कर दिया तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर बाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिकी पारित की जावे।

(अ)– प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे वाके ग्राम खेडा निपानिया पटवार हल्का गेलानी तहसील पिडावा के खसरा –334/274, 327/274 एवं 274 की आवाप्त होने वाली भूमि की मुभावजा राशि प्राप्त नाही करे एवं प्रतिवादीगण संख्या– मुआवजा राशि चका वितरण नही बारे।

(ब)–वाद के पैरा नम्बर–1 में वर्णित आराजी में से 4/8 हिस्से का कब्जा वादीगण को मौके पर प्रतिवादीगण संख्या–7 के माध्यम से पेमाईश कर दिलाया जावे। (स)– अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगमण के पक्ष में हो दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 बावजूद [illegible] अनुपस्थित रहे जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 03.12.2024 के अनुसार उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 02.12.2024 के अनुसार प्रतिवादी सं. 6 व 7 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम खेडा निपानिया तहसील पिडावा के खाता सं. 65 की जमाबंदी सं. 2060–63, 2072–75 प्रदर्श 1, खाता सं. 42 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 2, खाता सं. 107 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 3, खाता सं. 41 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 4, खाता सं. 82 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 5 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में धीरजसिंह पि. बनेसिंह, बालाराम पि. धीसा, परथीलाल पि. लक्ष्मण PW-1 to 3 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खेडा निपानिया तहसील पिडावा की जमाबंदी संवत् 2064–67 में मूल खसरा नं. 244, 245, 246, 267, 274, 275, 276 व 81 कुल किता 8 रकबा 52–03 बीघा प्रतिवादी 2 से 4 संयुक्त हिस्सा 1/4, प्रतिवादी 1, 5 के पिता तेजसिंह हिस्सा 1/2, एवं बनेसिंह, छगनसिंह, नारायणसिंह पिता गोपालसिंह व रामसिंह पिता जोरावरसिंह, भंवरबाई बेवा जोरावरसिंह हिस्सा 1/4 के खाते दर्ज रिकॉर्ड थे। बाद में कोर्ट के आदेश से विधिक बंटवारा हुआ था। मूल खसरा नम्बर 274 का बंटवारा होकर ख.नं. 274 का रकबा 0.1897 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 के हिस्से, ख.नं. 334/274 रकबा 0.4932 हैक्टेयर हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 के हिस्से, ख.न. 327/274 रकबा 0.2023 हैक्टेयर हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–5 के हिस्से एवं ख.न. 342/274 रकबा 0. 4806 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से मे आया था। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि ख.न. 342/274 रकबा 0.4806 हैक्टेयर विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति महाजन निवासी खारपाकला को बेचान कर दिया लेकिन मौके पर कब्जे का लेन देन नहीं हुआ तो वर्तमान मे वादीगण [illegible] /274, 327/274, एवं 274 पर काबिज होकर काश्त [illegible] है। इन ख[illegible] नम्बरान मे से गागरीन सिंचाई परियोजना की नहर [illegible] गण ने मुआवजा राशि वादीगण को देने इन्कार कर दिया इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे खसरा नम्बर 334/274, 327/274 व 274 की भूमि की अवाप्ति की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करे। इसी प्रकार ग्राम खेड़ा निपानिया के खाता संख्या 65 की कुल किता 6 कुल रकबा 27948 के वादीगण सहखातेदार होकर 4/8 हिस्से के रिकार्डड खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण ने ताकत के बल पर अवैध कब्जा कर रखा है। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा छोड़ने के लिए किया तो वह लड़ाई झगड़े करने पर आमादा हुआ। अतः प्रतिवादी सं. 7 के माध्यम से भूमि की पैमाइश करवाकर वादीगण के 4/8 हिस्से की भूमि का कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 का बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर गागरीन सिंचाई परियोजना की नहर में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 334/274, 327/274 व 274 की मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खेड़ा निपानिया के खाता संख्या 41, 82, 107 प्रदर्श–3 से 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 334/274, 327/274, 274 भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जबकि खाता सं. 65 किता 6 रकबा 2.7948 हेक्ट. वादीगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम खेड़ा निपानिया के जमाबंदी संवत् 2060–63 के अवलोकन से जाहिर है कि मूल खाता संख्या 35 मूल खसरा नं. 244, 245, 246, 267, 274, 275, 276 व 81 कुल किता 8 रकबा 52–03 बीघा प्रतिवादी 2 से 4 संयुक्त हिस्सा 1/2, प्रतिवादी 1, 5 के पिता तेजासिंह हिस्सा 1/2, एवं बनेसिंह, छगनसिंह, नारायणसिंह पिता गोपालसिंह [illegible] रसिंह, भंवरबाई बेवा जोरावरसिंह हिस्सा 1/4 के [illegible] संपूर्ण हिस्सा 5/4 दर्ज हो रखा है जो [illegible] जमाबंदी संवत् 2068–71 के अवलोकन से जाहिर है कि सहखातेदारों के नाम वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

का विधिक बंटवारा हो गया था जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नं 334/274, 327/274, 274 भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई थी। मूल खसरा नं. 274 प्रतिवादीगण के हिस्से में ही दर्ज हुआ था। *उक्त बंटवारा आदेश की किसी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने का कोई साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे प्रतित होता है कि उभयपक्षकार बंटवारे से संतुष्ट थे। उभयपक्षकारो को बंटवारे में प्राप्त खसरा नंबरों पर ही काबिज काश्त होना चाहिए था।*

अभिभाषक वादीगण का कथन है कि मूल खसरा नं. 244, 245, 246 , 267, 275, 276 मूल रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते दर्ज थे जिसका उभयपक्ष द्वारा विधिक बंटवारा करा लिया था लेकिन मौके पर कब्जे का आज दिनांक तक लेनदेन नही हुआ है। हाल खसरा नं. 334/274, 327/274, 274 तीनों पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। यदि वादीगण बंटवारा आदेश के अनुसार काबिज काश्त नही थे तो बंटवारा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए थी या बंटवारा आदेश अनुसार कब्जे का लेनदेन किया जाना था लेकिन ऐसा प्रतित नहीं होता है।

वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-2 बालाराम [illegible] एवं PW-3 परभीलाल पि. लक्ष्मण द्वारा सशपथ बयानो में कथन किया गया है कि ग्राम खेड़ा निपानिया तहसील पिड़ावा के खसरा नम्बर 334/274, 327/274 व 274 की भूमि पर मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है लेकिन रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। कब्जे का बंटवारे का लेनदेन नही हुआ है।

6 उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक नही है। केवल कब्जेधारी होना प्रतीत होता है। ***वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी पर धारा 183 व 188 का वाद पेश किया है जबकि धारा 183 व 188 का वाद पेश करने के लिए रिकॉर्डेड खातेदार कृषक होना प्रथम शर्त है।*** वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त भूमि पर कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में ना तो कोई भी साक्ष्य पेश किया है और ना ही कोर्ट का बंटवारा आदेश एवं पालना में दर्ज किये आदेश की प्रति पेश कि है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अविधिक रूप से कब्जा करना साबित नही है। *अतः वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण जो कि रिकॉर्डेड खातेदार अतिक्रमी नही हो सकते क्योंकि कब्जा तो वादीगण ने करना स्वीकार किया है और इसलिए प्रतिवादीगण बेदखल किये जाने योग्य नही है। यदि वादीगण के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है, जैसा कि वादीगण का कथन है, तो उसी खाते की आराजी के लिए वादीगण को धारा 183 व 188 का वाद दायर करना चाहिए था।* यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा– **183. Ejectment of certain trespasser—** (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to five times the annual rent.

7. यह तथ्य भी निर्विवादित है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है जबकि कब्जा काश्त वादीगण का होना प्रतीत होता है। *अतः वादीगण खातेदार टीनेन्ट नही होने से ना तो वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन या अतिक्रमण होना और ना ही वादी को अपूरणीय क्षति कारित होना साबित नही होता है। परिणामत धारा 188 के प्रावधान लागू नही होंगे।* यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा– **188. Injunction against wrongful ejectment—** (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, अपर्याप्त साक्ष्य एवं मुआवजा रोकना सिविल विषय होने के आधार पर ग्राम खेडा निपानिया तहसील पिडावा की प्रतिवादीगण के खाते की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 334/274, 327/274, 274 के संबंध में वादीगण का बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. परिणामस्वरूप ग्राम खेडा निपानिया तहसील पिडावा की प्रतिवादीगण के खाते की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 334/274, 327/274, 274 के संबंध में वादीगण का बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड, राज0

पिड़ावा, जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98/2021 दायर दिनांक: 23.12.2021

उनवान

1–धीरजसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
2– भंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
–वादीगण

बनाम

1– रणजीतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकला तहसील पिड़ावा
2– चन्दरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
3–प्यारसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
4– सज्जनसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
5– बहादुरसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत नि. खारपाकलां तहसील पिड़ावा
6– अधिशाषी अभियंता गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ राज. पिड़ावा
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा
– प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादीगण :– श्री नीलकमल त्रिवेदी
प्रतिवादी सं. 1 से 5 :– एकतरफा
प्रतिवादी सं. 6 – अधिशाषी अभियंता
प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....मिनजानित मुदई रूबरू .....X..... ग्राम खेड़ा निपानिया तहसील पिड़ावा की प्रतिवादीगण के खाते की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 334/274, 327/274, 274 के संबंध में वादीगण का बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारिज किया जाता है।

27/02/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

मिन ......X........ मुवक्किल ....X.......... बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूद बशरह ......
X............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......... अदा करूंगा।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा मवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नामा	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प नकल सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा मवाहान	
मिज़ान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज०
पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner